

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.सं./2020-21/ 8719

दिनांक 9/9/2020

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

विषय:- Proposal for diversion of 286.47ha of forest land in favour of executive engineer water resource division III, Baran for Construction of Hathiyadeh medium Irrigation project in Baran District, Rajasthan State-reg.

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य Online EDS दिनांक 11.12.2019 व 20.07.2020 एवं आपका पत्रांक 4141 दिनांक 03.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) कार्यालय द्वारा जारी Online EDS 11.12.2019 व 20.07.2020 के बिन्दु संख्या-3 के क्रम में हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आरक्षित भूमि की KML FILE अनुसार आरक्षित गैर वन भूमि का 17 है० भाग नदी के रूप में दर्शाया गया है। जिला कलक्टर बारां के आदेश क्रमांक 6029-38 दिनांक 07.07.2008 से वन विभाग को आरक्षित गैर वन भूमि जिसकी किस्म बंजड एवं गै. मु. खाल है। चूंकि उक्त क्षेत्र नदी से सटा है जहाँ नदी तल का MSL से Elevation 202 मीटर है एवं वन विभाग को आरक्षित गैर वन भूमि का न्यूनतम MSL से Elevation 208 मीटर है जो नदी तल से 6 मीटर ऊँचा है जो कमशः नदी से दूर जाने पर बढ़ता हुआ जाता है। अतः जब कभी नदी में पानी की आवक अधिक होगी तब ही उक्त क्षेत्र के डूबने की संभावना रहेगी।

भवदीय

(राजीव कपूर)

उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.सं./2020-21/

दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. अधिक्षण अभियंता जल संसाधन III बारां।
3. अधिशासी अभियंता जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां

(राजीव कपूर)

उप वन संरक्षक
बारां